न्यायालय उप जिलाधिकारी सोहावल फैजावाद।

T2017042345022789
वाद संख्या : 101
अन्तर्गत धारा–80 यू0पी0आर0सी0 2006
बाबत ग्राम–सरैया
परगना–हवेली अवध
तहसील–सोहावल जिला–फैजावाद।

रामखेलावन जगन्नाथ महाविद्यालय ....बनाम...सरकार आदि

–निर्णयः–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री राम खेलावन जगन्नाथ महाविद्यालय सरैया छतिरवा द्वारा प्रबन्धक बैज नाथ वर्मा पुत्र बाल गोविन्द निवासी छतिरवा परगना हवेली अवध तहसील सोहावल जिला फैजाबाद के द्वारा दिनांक 29.12.2016 को प्रार्थना पत्र देकर अनुरोध किया है, कि गाटा संख्या 28मि0 / 0.212हे0 व 266 / 0.139हे0 मे से 077 हे0 व 279 / 0.347हे0 मे से 0.2166हे0 कुल रकवा 0.5056हे0 स्थित ग्राम सरैया परगना हवेली अवध तहसील सोहावल जिला फैजाबाद की भूमि रामखेलावन जगन्नाथ महाविद्यालय के नाम अंकित है। उपरोक्त विद्यालय भूमि मे बाउन्ड्रीवाल बनी है। तथा कुछ भूमि पर भवन व खेल का मैदान है। प्रार्थी के द्वारा उक्त भूमि को आबादी घोषित किये जाने की याचना की गयी है। प्रार्थी के द्वारा नकल खतौनी, खसरा दाखिल किया गया है।

पत्रावली जांच हेतु तहसीलदार सोहावल फैजाबाद को भेजी गयी, जिसमें तहसीलदार से निर्धारित प्रारुप पर दिनांक 07.12.2017 को जांच आख्या प्रस्तुत की गयी है। जिसमें कहा गया है कि गाटा संख्या 280मि0 / 0.212, गाटा संख्या 266 / 0.139हे0 के 0.077हे0 एवं गाटा संख्या 279 / 0.347हे0 स्थित ग्राम सरैया परगना हवेली अवध तहसील सोहावल जिला फैजाबाद पर रामखेलावन जगन्नाथ महाविद्यालय द्वारा प्रबन्धक बैजनाथ वर्मा पुत्र बाल गोविन्द निवासी ग्राम छतिरवा के नाम सं0भू0 के रूप मे दर्ज है। उक्त गाटो के कुल 0.5056हे0 पर उ0प्र0रा0सं0 की धारा 2006 की धारा 80(1) के नियम 85 के अन्तर्गत उक्त गाटे 280मि0 / 0.212हे0 के 0.212हे0,266 / 0.139हे0 के 0.077हे0 व गाटा संख्या 179 / 0.347हे0 के 0.2166हे0 अर्थात कुल 0.5056हे0 को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रस्तुत की गयी है।

नामिक अधिवक्ता द्वारा ग्रामसभा / राज्य सरकार की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कहा गया है, कि वादी द्वारा अपनी संक्रमणीय खाते की भूमि को धारा 80 के अन्तर्गत अकृषिक कराने की याचना की गयी है। जिससे ग्रामसभा को कोई क्षति नही है। तहसील से प्राप्त आख्या में प्रश्नगत गाटे का नजरी नक्शा संलग्न है। तथा नियमानुसार शुल्क जमा किया गया है। जिससे अकृषिक घोषित किये जाने से ग्रामसभा / सरकार को कोई आपत्ति नही है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के द्वारा उद्घोषणा शुल्क मु0 15168 / –चालान संख्या 15168 व विभाजन शुल्क मु0 1000 / – चालान संख्या 221143 से जमा किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है, कि उक्त भूखण्ड में शैक्षणिक कमरे हाल,कीडा स्थल व पार्किंग बाउन्ड्रीवाल बनाकर पठन पाठन का कार्य किया जा रहा है। किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नही हो रहा है। इस प्रकार तहसीलदार सोहावल की आख्या के आधार पर उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

837
12-12-17

आदेश

अतः आदेश हुआ कि ग्राम सरैया परगना हवेली अवध तहसील सोहावल जिला फैजाबाद की वर्तमान खतौनी वर्ष 1419–1424फ0 की खाता संख्या 150 पर अंकित गाटा संख्या 280मि0 / 0.212हे0,खाता संख्या 151 पर अंकित गाटा संख्या 266मि0 / 0.077हे0 व खाता संख्या 365 गाटा संख्या 279मि0 / 0.2166हे0 कुल रकबा 0.5056हे0 भूमि को अकृषिक प्रयोजन हेतु प्रख्यापित किया जाता है। तद्नुसार अभिलेखों में अंकन हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार को भेजी जाय। तथा आदेश की एक प्रमाणित प्रति संबंधित उप निबंधक को भी भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–12-12-17

R.K

12-12-17

(डा0ए0बी0सिंह)
उप जिलाधिकारी,
सोहावल फैजाबाद।

न्यायालय उप जिलाधिकारी सोहावल–फैजाबाद।

वाद सं०– ३३

अन्तर्गत धारा–143 जे०ए० ऐक्ट
ग्राम–सरैया, परगना–हवेली अवध
तहसील–सोहावल, जिला–फैजाबाद।

राम खेलावन जगन्नाथ महिला महाविद्यालय, प्रबंधक, बैजनाथ, सरैया छतिरवा

बनाम

गाँव सभा आदि

–:निर्णय:–

श्री बैजनाथ वर्मा, प्रबंधक राम खेलावन जगन्नाथ महिला महाविद्यालय, सरैया, छतिरवा फैजाबाद ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि भूमि गाटा संख्या–280मि०/0.5060 हे० स्थित ग्राम सरैया, परगना हवेली अवध, तहसील सोहावल जिला फैजाबाद का प्रयोग कृषि कार्य हेतु नहीं हो रहा है। उक्त भूमि में राम खेलावन जगन्नाथ महिला महाविद्यालय स्थापित है। अतः उक्त रकबे पर अतएव उक्त रकबे को धारा–143 जे०जे०एक्ट के अंतर्गत अकृषिक घोषित कर दिया जाय।

पत्रावली तहसीलदार को जाँच हेतु प्रेषित की गयी। तहसीलदार द्वारा नियम–135 ए पर आख्या प्रेषित की गयी, जिसमें यह कहा गया कि गाटा संख्या–280मि०/0.506 हे० स्थित ग्राम सरैया, परगना हवेली अवध, तहसील सोहावल जिला फैजाबाद राम खेलावन जगन्नाथ महिला महाविद्यालय, प्रबंधक बैजनाथ नि० ग्राम छतिरवा के नाम सं०भू० अंकित है जिसमें कृषि कार्य नहीं हो रहा है। महाविद्यालय भवन, चहारदीवारी तथा खेल का मैदान बना है। मौके पर भूमि अकृषिक है। गैर कृषि प्रयोजन हेतु घोषित करने की संस्तुति की गयी है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध उद्धरण खतौनी नजरी नक्शा, शपथ पत्र, तहसीलदार सोहावल फैजाबाद की आख्या आदि का अवलोकन किया। आवेदक उपरोक्त संदर्भित गाटे का संक्रमणीय भूमिधर है। उ० प्र० ज० वि० अधि० की धारा–143 में यह व्यवस्था दी गयी है कि कोई खातेदार अपनी जोत व उसके किसी भाग का प्रयोग कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजन में उपयोग कर रहा है, तो उक्त अंश को अकृषिक प्रयोजन हेतु प्रख्यापित कर दिया जाय। तहसीलदार की जाँच आख्या से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि में कृषि कार्य नही हो रहा है। महाविद्यालय भवन, चहारदीवारी तथा खेल का मैदान बना है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूखण्ड गैर कृषिक प्रयोजन हेतु प्रख्यापित किए जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि ग्राम सरैया, परगना हवेली अवध, तहसील सोहावल जिला फैजाबाद की खतौनी सन् 1419–1424 फ० के खाता सं०–338 पर अंकित गाटा सं०–280मि०/0.506 हे० का गैर कृषि प्रयोजन हेतु प्रख्यापित किया जाता है। नियम–136 के अनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो तथा उसकी एक प्रति सम्बन्धित उप निबन्धक को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

दिनांक 16-3-13

16-3-13
(...)
उप जिलाधिकारी,
सोहावल–फैजाबाद।